राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/3576-3608 दिनांकः– 05/04/2022

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः– नजूल भूमि/राजकीय भूमि एवं सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किये जाने के संबंध मे।

संदर्भः– माननीय सलाहकार नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा बैठक दिनांक 23.03.2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/21/मं.मं.ज्ञा दिनांक 28.09.2021 के द्वारा निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि/राजकीय भूमि एवं सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे साथ ही भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही के उपरान्त भूमि नगरीय निकाय के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने के भी निर्देश जारी किये गये थे। माननीय सलाहकार नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2022 को प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ध्यान में लाया गया है कि अभी तक निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि/राजकीय भूमि एवं सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण नही किया जा रहा है और न ही भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही के उपरान्त भूमि नगरीय निकाय के नाम नामान्तरण दर्ज किया जा रहा हैं। यह भी ध्यान में लाया गया है कि निकायों में आवशयक स्टाफ/राजस्व स्टाफ के उपलब्ध नही होने से प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को राज्य सरकार के अपेक्षाओं के अनुरूप पट्टे जारी नही किये जा पा रहे है।

अतः बैठक के दौरान माननीय सलाहकार महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में लेख है कि निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि/राजकीय भूमि एवं सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किये जाने एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही के उपरान्त भूमि नगरीय निकाय के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने के संबंध में आप अपने स्तर से अविलम्ब कार्यवाही करावे। प्रशासन शहरो के संग अभियान के दृष्टिगत आपके जिले की विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं (स्टाफ/राजस्व स्टाफ की कमी) का तुरन्त समाधान करावे ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकाधिक पट्टे जारी किये जाकर आमजन को लाभान्वित किया जा सके।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/3609-3839 दिनांक :– 05/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि निकाय क्षेत्र में उपलब्ध राजकीय/सिवाय चक/नजूल भूमि का चिन्हिकरण कराया जाकर संबंधित जिला कलक्टर के स्तर से आपकी निकाय के नाम उसे हस्तानान्तरण करवाने की कार्यवाही करें।
6. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D/PSKS2021/letter